



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.वी.-अ.-13102025-266882
CG-WB-E-13102025-266882

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4510]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947

No. 4510]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे(निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 10 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4639(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), अध्याय IV क की धारा 20 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में विशेष रेलवे परियोजना के रूप में "बंगरीपोसी- गोरुमहिसानी (85.60 किमी.) नई लाइन" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लिए अपेक्षित है एतद् द्वारा भूमि अधिग्रहण की घोषणा की जाती है।

उक्त भूमि में रुचि रखनेवाला कोई भी व्यक्ति, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के तहत उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्ति कर सकता है।

ऐसे प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मयूरभंज, ओडिशा, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट मयूरभंज कार्यालय, पी.ओ: वारीपदा, पिन- 757001, ओडिशा स्थित अपने कार्यालय में, लिखित रूप में देगा और उसका कारण भी बताएगा और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिकर्ता के माध्यम से सुनने का एक अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने और इस तरह की आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि

अधिग्रहण अधिकारी, मयूरभंज आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप धारा (2) के तहत।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मयूरभंज द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि की भूमि योजना और अन्य विवरण उपलब्ध है तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उसका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में विशेष रेलवे परियोजना “बंगरीपोसी- गोरुमहिसानी (85.60 किमी.) नई लाइन” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क) मौजा: बलिटांगीरी, पुलिस स्टेशन: गोरुमहिसानी, पुलिस स्टेशन संख्या:41, तहसील: राइरंगपुर, ग्रामीण, जिला: मयूरभंज, ओडिशा

अनुक्रम संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	किसम	प्लॉट क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वामित्व की स्थिति
1	7	464	डाही-II	0.2023	0.0486	निज
कुल :					0.0486	

ख) मौजा: सानमउदा, पुलिस स्टेशन: गोरुमहिसानी, पुलिस स्टेशन संख्या:43, तहसील: सरस्काना, ग्रामीण, जिला: मयूरभंज, ओडिशा

अनुक्रम संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	किसम	प्लॉट क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वामित्व की स्थिति
1	119	1177	आडी	0.0162	0.0162	निज
2	119	1178	जलाशय-II	0.0202	0.0202	निज
3	119	1175	डाही-II	0.1538	0.0445	निज
4	119	1170	सारद-I	0.0607	0.0607	निज
5	119	1171	सारद-II	0.1497	0.1012	निज
6	119	1176	डाही-I	0.0364	0.0364	निज
7	84	1160	सारद-III	0.5382	0.5382	निज
8	84	1161	सारद-III	0.2145	0.1335	निज
9	119	1168	रास्ता	0.0728	0.0728	निज
10	119	1169	सारद-II	0.0809	0.0809	निज
11	119	1164	डाही-II	0.0931	0.0728	निज
कुल :					1.1774	

ग) मौजा: हलदीबनी, पुलिस स्टेशन:राइरंगपुर, पुलिस स्टेशन संख्या:108, तहसील:राइरंगपुर, ग्रामीण, जिला:मयूरभंज, ओडिशा

अनुक्रम संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	किसम	प्लॉट क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वामित्व की स्थिति
1	4	568	सारद-II	0.2833	0.0364	निज
2	3	574	सारद-I	0.0202	0.0202	निज
3	4	575	सारद-II	0.1619	0.1619	निज
4	37	577	सारद-II	0.1133	0.0769	निज
5	37	578	सारद-III	0.2347	0.0405	निज
6	70/12	571	सारद-III	0.2873	0.2347	निज
7	15	570	डाही-I	0.4371	0.1578	निज
8	70/12	572	सारद-II	0.2630	0.2550	निज
9	4	576	सारद-I	0.2347	0.2347	निज
10	70/12	573	सारद-I	0.1133	0.1133	निज
कुल :					1.3314	

[फा.सं. दपूरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/भूमि/ डीसीई/सी-II/केजीपी/एनएल/ बीजीवाई-गुमी/एसआरपी/ओडी/20क/1]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Eastern Railway(Construction Organization)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 10th October, 2025

S.O. 4639(E).— In exercise of Power conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), Chapter IV-A (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation of 'Bangriposi-Gorumahisani (85.60 Km.) new line' as "Special Railway Project" in the district of Mayurbhanj in the state of Odisha, hereby declares its intension to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the official Gazette, object, under sub-section (1) of the section 20D of the said Act to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, viz. Land Acquisition Officer, Mayurbhanj, Odisha, in his office located at the office of the Collector and District Magistrate Mayurbhanj, P.O: Baripada, PIN- 757001, Odisha in writing, and shall set out the grounds thereof and Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections as per Sub-Section (2) of section 20D of the said Act.

Any order made by the Land Acquisition Officer, Mayurbhanj, Odisha- cum-Competent Authority under Sub-Section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans & the other details of the land covered under notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structures for Special Railway Project 'Bangriposi-Gorumahisani (85.60 Km.) new line' in the District of Mayurbhanj in the State of Odisha.

A) Mouza:Balitangiri , Police Station :Goru Mahisani, P.S. No.41, Tahasil: Rairangpur,
Rural, District: Mayurbhanj, Odisha

Srl. No.	Khata no.	Plot no.	Kisam	Plot area (in Hectare)	Area to be acquired (in Hectare)	Status of Ownership
1	7	464	Dahi-II	0.2023	0.0486	Private
Total :					0.0486	

B) Mouza: Sanamouda, Police Station: Goru Mahisani, P.S. No.43, Tahasil: Rairangpur,
Rural, District: Mayurbhanj, Odisha

Srl. No.	Khata no.	Plot no.	Kisam	Plot area (in Hectare)	Area to be acquired (in Hectare)	Status of Ownership
1	119	1177	Aadi	0.0162	0.0162	Private
2	119	1178	Jalashaya-II	0.0202	0.0202	Private
3	119	1175	Dahi-II	0.1538	0.0445	Private
4	119	1170	Sarada-I	0.0607	0.0607	Private
5	119	1171	Sarada-II	0.1497	0.1012	Private
6	119	1176	Dahi-I	0.0364	0.0364	Private
7	84	1160	Sarada-III	0.5382	0.5382	Private
8	84	1161	Sarada-III	0.2145	0.1335	Private
9	119	1168	Rasta	0.0728	0.0728	Private
10	119	1169	Sarada-II	0.0809	0.0809	Private
11	119	1164	Dahi-II	0.0931	0.0728	Private
Total :					1.1774	

C) Mouza: Haladibani, Police Station: Rairangpur, P.S. No.108, Tahasil: Rairangpur,
Rural, District: Mayurbhanj, Odisha

Srl. No.	Khata no.	Plot no.	Kisam	Plot area (in Hectare)	Area to be acquired (in Hectare)	Status of Ownership
1	4	568	Sarada-II	0.2833	0.0364	Private
2	3	574	Sarada-I	0.0202	0.0202	Private
3	4	575	Sarada-II	0.1619	0.1619	Private
4	37	577	Sarada-II	0.1133	0.0769	Private
5	37	578	Sarada-III	0.2347	0.0405	Private
6	70/12	571	Sarada-III	0.2873	0.2347	Private
7	15	570	Dahi-I	0.4371	0.1578	Private
8	70/12	572	Sarada-II	0.2630	0.2550	Private
9	4	576	Sarada-I	0.2347	0.2347	Private
10	70/12	573	Sarada-I	0.1133	0.1133	Private
Total :					1.3314	

[F.No:SER/CON-Orgn./HQ/Land/DCE/C-II/KGP/NL/BGY-GUMI /SRP/OD/20A/1]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Administrative Officer(Con.)